

उत्तराखण्ड सरकार  
वित्त अनुभाग-9  
संख्या- 26/XXVII(9)/स्टाम्प/2008  
देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2008  
अधिसूचना

चूकी राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या-62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प-विधि/05)/2006, दिनांक 13 फरवरी, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुये अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये 31.03.2009 की तारीख तक रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 26(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊ।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप-निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)  
अपर सचिव।